

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:

जयपुर, दिनांक

आदेश

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के तहत फलौदी शहर के नवीन मास्टर प्लान-2043 में सम्मिलित राजस्व ग्रामों में से राजस्व ग्राम बिठडी, मोखेरी, सालोनी खेताणीनगर एवं बापिणी को नगरीय क्षेत्र से विलोपित करने के संबंध में माननीय विधायक महोदय, फलौदी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन के क्रम में फलौदी मास्टर प्लान-2043 के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्राम बिठडी, मोखेरी, सालोनी खेताणीनगर एवं बापिणी के संबंध में परीक्षण किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर | - अध्यक्ष। |
| 2. मुख्य नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग | - सदस्य। |
| 3. शासन उप सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, जयपुर | - सदस्य। |
| 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर | - सदस्य। |
| 5. वरिष्ठ नगर नियोजक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान | -सदस्य सचिव। |
| 6. आयुक्त, नगर परिषद, फलौदी | -सदस्य। |

आज्ञा से
(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, नगर परिषद, फलौदी।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम